



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN: L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 23 May, 2023

PGCIL/R/E/23/00134

SHRI ASHOK KUMAR MISHRA,
Flat No 1905, Tower B, Godrej Anandam World City, Ganeshpeth, NAGPUR-440018 Maharashtra

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,


कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 10 April, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध तथा तदोपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा ईमेल दिनांक 08 मई 2023 का संदर्भ लें ।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा
कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571960

धन्यवाद,

भवदीय,

23/5/23
(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Ashok Kumar Mishra, Nagpur, Maharashtra

(RTI Regn.No. PGCIL/R/E/23/00134)

Information sought:	Reply:
<p>Payment made during financial year 2022-2023 for event/meeting for hotel booking in the following format</p> <p>Sl.No. Date of Event/Meeting Event/Meeting Namee Place of Event/Meeting State No.of Rooms booked Payment (In Rupees) Date of payment</p>	<p>The information sought is not maintained/ available in the format being sought. Moreover, the RTI Act does not mandate compilation of data since it involves diversion of disproportionate resources of the Public Authority.</p> <p>Further, the information sought is also covered under Section 8 (1) (j) of the RTI Act, 2005, wherein there is no larger interest is justified in disclosure of such information.</p>

Ashok
22/05/2023